

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जुहर खां बनाम अरसीदा

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

प्रार्थना पत्र - 212 जा0दी0 संख्या 349 वर्ष 2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का दृष्ट्या बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 02-09-2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा 293 रकबा 0.76 है0 के ग्राम कहरानी तहसील टपुकडा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक का व रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई ज्ञ हो तो आप स्वयं अथवा जर्गे अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। कील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने त्त दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, वाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।

अज पत्रावली पेश हुई। 06/09/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

अज पत्रावली पेश हुई। 12/09/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

अज पत्रावली पेश हुई। अतिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगन किया है। अतः पत्रावली दिनांक 21/09/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

अज पत्रावली पेश हुई। अतिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगन किया है। अतः पत्रावली दिनांक 02/12/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

न्यायालय उपजंड अधिकारी (जजारा) (मलकर) राजपूत

बं० ५०- जुहरा जा | झालीडा - १२० ५१०५०-३५९

प्रा० ५० - २१२ R.M.

02/12

आज फगवली पैस धी) जालीं पापठे द्वारा ५१०५०
नै पापठे मूल काड क्लॉट लिड्स पर खादि हो गइय
ही धना घायेना फग खादिज दिना जासद ५१०५०
बाड किणदि लमपील सेलमद मूल काड ही

उपखण्ड अधिकारी
दिजारा (जजारा) राजपूत